

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(6)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/18/95361

जयपुर, दिनांक : 29-5-18

आदेश

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 4243 दिनांक 10-5-2018 द्वारा श्री गुरजन्त सिंह, कनिष्ठ सहायक का परियोजना गंगानगर ग्रामीण (श्रीगंगानगर) से परियोजना पदमपुर (श्रीगंगानगर) में किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(6)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/18/95362-375 जयपुर, दिनांक : 29-5-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर।
5. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
6. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं श्रीगंगानगर ग्रामीण/पदमपुर (श्रीगंगानगर)।
9. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित श्री
11. व्यक्तिगत पत्रावली
12. आदेश पत्रावली

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर